निर्माण IAS निर्माण IAS

7 May The Hindu Conservation Minus the People? जनसहभागिता के बिना संरक्षण

संदर्भ

- इस वर्ष फरवरी महीने में दुनिया के सबसे बड़े 17 जैव-विविधता वाले देशों में सें एक भारत के न्यायालय ने वन अधिकार से संबंधित एक निर्णय दिया, जिसके अन्तर्गत वनवासियों के बेघर होने का खतरा उत्पन्न हो गया।
- भारत एक ऐसा देश है जहां जैव विविधता की अगर बात की जाए तो लगभग 8% वैश्विक प्रजातियों की विविधता पायी जाती है। यहां के वनों में निवास करने वाले लगभग 100 मिलियन वनवासी शीर्ष अदालत के समक्ष उचित रूप से अपनी बात को नहीं रख पाए, हालांकि आगे चलकर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी।

- यद्पि इस फैसले ने अस्थायी तौर पर भारत के संरक्षण के उद्देश्यों और दृष्टिकोणों को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

संरक्षण हेतु प्रावधान

- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग द्वारा संसाधनों के निकट निवास करने वाले समुदायों को शामिल करना, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक सशक्त एवं प्रभावी उपकरण है, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्रदान की गई है। इसकी पुष्टि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय संघ (IUCN) के 1980 विश्व संरक्षण रणनीति, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के वन सिद्धांतों और जैविक विविधता पर कन्वेंशन द्वारा भी की गई है।
- 2000 में सतत उपयोग पर वाइल्ड लिविंग रिसोर्सेज के IUCN के पॉलिसी स्टेटमेंट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सतत उपयोग पर कन्वेंशन, बायोडायवर्सिटी के सतत उपयोग के लिए दिशानिर्देश और सिद्धांत प्रदान करता है।

भारत में संरक्षण का अंतर्द्वंद्व

- भारत इन सम्मेलनों का मुखर सदस्य रहा है। परन्तु स्थानीय स्तर पर चीजें अलग तरह से संचालित होती हैं। भारत का संरक्षण कानून उन लोगों में विभाजित है जो वनों और इसकी उपज की रक्षा करते हैं, और जो वन्यजीव संरक्षण को लक्षित करते हैं।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 दोनों ही विभिन्न प्रकार और संरक्षित क्षेत्रों के ग्रेड बनाते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों और परिदृश्यों के स्थानीय उपयोग को प्रतिबंधित करने के प्रावधान है। - 1980 के दशक से, ऐसी कई नीतियां थीं, जो समावेशी संरक्षण की दिशा में वैश्विक बदलाव को दर्शाती थीं, जैसे
- 1980 के दशक से, ऐसी कई नीतिया थीं, जो समावेशी संरक्षण को दिशा में विश्विक बदलाव को दशाती थीं, जस कि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति, 1992 की राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, 2006 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और 2007 की बायोस्फीयर रिजर्वेशन गाइडलाइंस।
- हालांकि जन अनुकूल नीतिगत प्रयासों ने भारत के संरक्षण पंजीका में अपनी जगह बनाई, लेकिन इसके पहले के संरक्षण कानून में इसका बहिष्कार होता रहा है।
- संभावित रूप से, इस विभाजन को पाटने के प्रयास में, 1990 के संयुक्त वन प्रबंधन दिशानिर्देश (JFM) ने वन नौकरशाही के सहयोग से, सह-प्रबंधन के लिए सामुदायिक समूह बनाए।
- हालांकि इसने शुरूआत में देश के कुछ हिस्सों में कुछ सफलता की कहानियां दर्ज की, परन्तु इन JFM सिमितियों की आलोचना इस आधार पर की गई कि ये नौकरशाही की प्रवृतियों से ग्रस्त है तथा इन्होंने शक्तियों का अल्प हस्तांतरण स्थानीय समुदायों को किया है।
- भारतीय संरक्षण प्रतिमान में एक नाटकीय बदलाव 2006 में वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से आया जो, वन भूमि और उपज पर स्थानीय समुदायों को अधिकार प्रदान करने के लिए था, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अधिनियम के संचालन के साथ अनिवार्य किया गया था, जबिक पर्यावरण संरक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन रहा।
- नौकरशाही वातावरण को देखते हुए, कानून कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर सफल नहीं हो पाया। अपने सीमित उपलब्धि के बावजूद, वन अधिकार अधिनियम, नौकरशाही और वन्यजीव संगठनों के भीतर उन लोगों को जबाव देने में सफल रहा, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

निर्माण IAS निर्माण IAS

निर्माण IAS निर्माण IAS

- वर्षों से भारत की संरक्षण नीतियों और कानून में उद्देश्य और कार्रवाई का एक द्वंद्व है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की जांच में कुछ प्रगतिशील नीतिगत दस्तावेज डाले जाते हैं। हालांकि, जमीन पर इसके संचालन के दौरान एक पूरी तरह से अलग तस्वीर उभरती है।

- यदि समावेशी संरक्षण पर भारत के रूख के बारे में कोई अनिश्चितता थी, तो पिछले तीन वर्षों से पता चलता है कि सामुदायिक भागीदारी का दिखावा भी काफी हद तक दूर किया जा चुका है।

नौकरशाही की भूमिका:-

- तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, जिसे 2017 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के इरादे से शुरू किया गया था, स्पष्ट रूप से स्थानीय लोगों के संरक्षण में एक बाधा है। जहां एक तरफ वनवासियों को इसमें शामिल किया गया है वही दूसरी तरफ उनके अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया है।
- इसके बजाय एक नौकरशाही-नियंत्रित प्रारूप के भीतर ढाचें का उपयोग करता है। 2018 में, एक राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा तैयार किया गया था जिसने संरक्षण के संरक्षित मॉडल पर जोर दिया गया जो समुदायों के लिए बहुत कम विकल्प छोड़ता है।
- वर्ष 2019 के शुरूआत में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने वनवासियों के अधिकार को समाप्त कर दिया और उनके निष्कासन को अनिवार्य कर दिया। नौकरशाही का उल्लंघन हो, या तकनीकि बाधाओं की अवहेलना हो, इस प्रकार के उपायों का सहारा लेकर के वनवासियों के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया जो अस्वीकार्य है। - मार्च 2019 में भारतीय वन अधिनियम का एक व्यापक संसोधन मसौदा प्रस्तावित किया गया था। यह संशोधन वन
- मार्च 2019 में, भारतीय वन अधिनियम का एक व्यापक संसोधन मसौदा प्रस्तावित किया गया था। यह संशोधन वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करने के प्रावधानों को प्रस्तुत करता है।
- इसके अलावा, यह वन नौकरशाही को संदेह के आधार पर वन-निवासियों के परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी और संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- आमतौर पर आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए आरक्षित राज्य प्राधिकरण को अब जैव विधिता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना है। कथित तौर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- हाल के वर्षों में भारत की संरक्षण नीतियां कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं क्योंकि देश संरक्षण के मॉडल को आगे बढ़ाने पर आमादा है। जबिक अन्य देश सामुदायिक रूप से संरक्षण मॉडल के मूल्य को पहचान रहे हैं, भारत सख्ती से और तेजी से विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है। अर्थात सामुदायिक संरक्षण की जगह सरकारी संरक्षण नीति को अपना रहा है।

विशेष :-

सामुदायिक वानिको:- सामुदायिक वानिकी एक ऐसा प्रारूप है, जिसमें ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं में सुधार करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत प्रबंधन एवं बेहतर उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। सामुदायिक वानिकी हेतु निम्न कार्यों का क्रियांन्वयन किया जाना चाहिए-

- 1.ग्रामीण पर्यावरणीय दशाओं का आंकलन
- 2.स्थानीय पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों को चिन्हित करना
- 3.वानिकी परियोजना का समायोजना करना

मुख्य परीक्षा पत्र:-

पेसा अधिनियम 1996 समुदाय की प्रथागत धार्मिक एवं परम्परागत रीतियों के संरक्षण पर असाधारण जोर देता है। वहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 वनों पर वनवासियों के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। वन अधिकारों से संबंधित हालियां न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कीजिए-

निर्माण IAS